

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-24/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती रजनी कुमारी, नर्स-2, एस0एम0एस0 चिकित्सालय, जयपुर को पति से मिलने हेतु दिनांक 01.03.2018 से 31.08.2018 (6 माह) तक (U S A) की यात्रा पर जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

-sd-

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-24/2018/311

दिनांक:- 5-3-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके क्रमांक: 348/एम/एमएच/18 दि. 23.02.2018 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर को उनके क्रमांक: 1415/पी एस/एसीएस/एम&एच/2018 दिनांक 23.02.2018 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक: 366 दिनांक 23.02.2018 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: 4763 दिनांक 16.02.2018 के क्रम में।
5. श्रीमति रजनी कुमारी, नर्स-2 को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर